तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/3/23	वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र 06.12.22 पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी वकील द्वारा प्रा० पत्र 06.12.22 को स्वीकार नहीं बताया। अतः प्रार्थना-पत्र 06.12.22 स्वीकार कर मूल वाद में स्थान सौरभ की जगह प्रीतमप्रकाश शुद्ध करने के आदेश का शुद्ध किया जाता है। एवं लाल त्यागी के अंकन किया जाता है एवं साथ ही मूल प्रार्थना-पत्र 12.8.2022 पर बहस सुनी गई। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ~~[illegible]~~ एवं साथ ही तहसीलदार कठूमर को आदेश प्रार्थी के खातों पर पत्थरगढ़ी कराकर पालना रिपोर्ट भिजवावें' का आदेश भी तहरीर जारी हो। निर्णय टंकक से लिखवाया जाकर बाद [illegible] पत्रावली मैं [illegible] होकर [illegible] तत्काल जिला प्रविष्ट [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्रीलाखनसिंह गुर्जरआर ए एस

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 3/11/2019

वउनवान

1. मूलचन्द पुत्र सोन्याराम जाति अहीर निवासी प्रीतमपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर।

प्रार्थी

बनाम

1. कमलपुत्र सोन्या राम जाति अहीर निवासी प्रीतमपुरा
2. लालारा मपुत्र श्यामलाल जाति अहीर नवासी प्रीतमपुरा
3. रतन पुत्र श्यामलाल जाति अहीर निवासी प्रीतमपुरा तहसील कठूमर जिला अलवर
4. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लेण्ड होल्डर

अप्रार्थीयान

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्डरेवन्यु एक्ट

उपस्थित

श्री भागचन्द जैन एडवोकेट–अधिवक्ताप्रार्थी

श्री देवेन्द्रसिंह नरूका एडवोकेट–अधिवक्ताअप्रार्थी सं0 1

श्री नीरज कुमार अवस्थी एडवोकेट–अधिवक्ताअप्रार्थी सं0 2–3

आदेश दिनांक 24.03.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1934/2313 रकवा 0.13 हे. 2212/2314 रकवा 0.17 हे. 2218 रकवा 0.09 हे. ग्राम पीतमपुरा तहसील कठूमर में स्थित है। कुल आराजी खसरा नम्बर 1891, 1894, 1934, 2165, 2166, 2212, 2213, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221 किता 12 रकवा 4.49 हे. ग्राम प्रीतमपुरा तहसील कठूमर में स्थित थे जिस आराजी में प्रार्थीका 1/4 हिस्सा था तथा शामलात खातेदारी की आराजी थी जिस आराजी वावत प्रार्थी ने एक राजस्ववाद तकसीम व स्थाई निशेधाज्ञा का अदालत

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

श्रीमान में पेश किया जो प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया व कुरेजात रिपोर्ट पेश हेने पर अंतिम रूप से डिक्री किया गया।मुताविक डिक्री आराजी खसरा नम्बर 1894/2312, 1934/2312, 2212/2314, 2213, 2166, 2218 किता 6 रकवा 1.43 हे0 प्रार्थी की खातेदारीमेंदर्ज की गई तथा शेष आराजी अन्य सह हिस्सेदारान के नाम खातेदारी में दर्ज की गई।प्रार्थी को तकसीम में मिली आराजी खसरा नम्बर 1934/2313, 2212/2314, 2218 वाके ग्राम प्रीतमपुरा पर पत्थरगढी कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान में पेश किया गया है। अप्रार्थीयान का प्रार्थी की आराजी से कोई सरोकार व सम्बन्ध नहीं है लेकिन अप्रार्थीयान अपनी आराजी की ट्रेक्टर से जोता बोई करते समय प्रार्थी की आराजी की डोलों को तोड देते है तथा अप्रार्थीयान ने प्रार्थी की की कुछ आराजी की जमीन दवाकर पक्का निर्माण चालू कर दिया।प्रार्थी ने अप्रार्थीयान से अपनी आराजी की पैमाइस करवाकर पत्थरगढी कराने वावत कहा तो अप्रार्थीयान ने साफ इन्कार कर दिया व प्रार्थी की आराजी पर जवरन कब्जा करने की धमकी दी। यदि उक्त आराजी की पत्थरगढी हो जाती है तो पक्षकारान के मध्य ना तो झगडा होगें बल्कि शांति बनी रहेगी।अतः प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 1934/2313, 2212/2314, 2218 वाके ग्रामप्रीतमपुरा की पत्थरगढी करान का निवेदन कियाहै।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये नोटिस तलव किया। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त आराजी प्रार्थी अप्रार्थीयान की शामलात खातेदारी की आराजी है विवादित नहीं है। प्रार्थी द्वारा अदालत श्रीमान में तकसीम का दावा अव य पेश किया था जिसमें प्रार्थी ने अप्रार्थीयान की इकतरफा करवाकर प्रारम्भिक डिक्री व अंतिम डिक्री पारित करा ली। उक्त आराजी का कोई हिस्सा वंटा नहीं है बल्कि शामलात में काश्त हो रही है। प्रार्थी ने पटवारी हल्का से मिलकर इकतरफा में कुरेजात रिपोर्ट पेश करवाई है। उक्त आराजी का पत्थरगढी कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। शामलात आराजी में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इस भूमिपर कब्जा होता है। माननीय न्यायालय की एकपक्षिय डिक्री की अपील अप्रार्थी सं0 1 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में कर रखी है।प्रार्थी पत्थरगढी कराने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं0 2–3 ने भी प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के तथ्यों का विरोध करते हुये अलग से जवाव प्रार्थनापत्र पेश किया तथा जवाव प्रार्थनापत्र के साथ काउण्टर क्लेम पेश कर निर्णय एंव डिक्री के अनुसार अप्रार्थीयान के हक वो कब्जे की आराजी की पत्थरगढी कराये जाने की आज्ञा पारित की जाकर

उपखण्ड अधिकारी
(अलवर) राज०

अप्रार्थीयान का काउण्टरक्लेम डिक्री किये जाने व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ सत्यप्रतिलिपी जमाबन्दी हाल संवत् 2070 से 2073वाके ग्राम प्रीतमपुरा पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थीयान की एकपक्षिय वहससुनी व पत्रावली के तथ्यों जवाव प्रार्थनापत्र व राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। मुताविक जमाबन्दी नामान्तकरण संख्या 207 डिक्री से नवीन अंकन का लाल स्याही से नोट लगा हुआ है जिस अनुसार खसरा नम्बर 1934/2313, 2212/2314, 2218 वाके ग्रामप्रीतमपुरा तहसील कठूमर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। इसके अतिरिक्त अन्य सहखातेदारान के नाम डिक्री के अनुसार नामान्तकरण दर्ज हुआ है। चूँकि उक्त आराजी वावत कुरेजात रिपोर्ट तलव की जाकर न्यायालय से विधिनुसार डिक्री पारित की जाकर अलग अलग खातेदारी दर्ज हुई है।जिस अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1934/2313, 2212/2314, 2218 वाके ग्राम प्रीतमपुरा तहसील कठूमर की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1934/2313, 2212/2314, 2218 वाके ग्रामप्रीतमपुरा तहसील कठूमर की प्रार्थी के खर्चे परपत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। आदेश की एक प्रति बास्ते पालनार्थ तहसीलदार कठूमर को भिजवाई जावे।पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो।

लाखनसिंहगुर्जर
उपखण्डअधिकारीकठूमर (अलवर)

अतः यह आदेश आजदिनांक 24.03.2023को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंहगुर्जर
उपखण्डअधिकारीकठूमर (अलवर)